


2



04AA 002217 / 14



Murel Kerkeeta

06.02.2015

मूल्य १००० रु. के न्यायिक रूप से प्रमाणित
 भारतीय गैर न्यायिक 10000 रु. का
 46 D Pro के न्यायिक
 मूल्य: भारतीय स्टाम्प अधिनियम
 (सूचित स्टाम्प एक्ट) 1999 की अनुसूची
 का 1 क संख्या 23 I A With the Permission
 by S.D.O. Simdega vide
 Order (या स्टाम्प संख्या) Case No 633 R 811/2013-14
 न्यायिक प्रमाणित नहीं है।

[Signature]
 06.2.15

order dated
 30-9-14

§ 18 लेख्यकारी:- श्री मुरेल केरकेटा पिता स्व० उरबानुस केरकेटा
 जाति- छाड़िया, पेशा- खेतोबारी, निवास ग्राम-गोतरा छम्हनटोली
 थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

..... बिक्रेता ।

प्रमथ-पत्र संख्या :- 38/2015 / _____

किर्री पिता स्व. के लुण किर्री
 महाराष्ट्र की पाकरडी
 जिला- सिमडेगा
 6-02-2015

542
19

55 dt 13.10.2014



श्रीमती नरसी का शेखा
पति - श्री एडमोन शेखा
कोलांग बिल्डिंग (2011)
थाना + जिमा - बिमडग


10,000 x 1 = 10,000
1,000 x 2 = 2,000
100 x 4 = 400

केवाला
12,400 = 00

11/11/2014

Total = 12,400

(बाराह इजा - या ली)



Muneed kunketta

06.02.2015



06-02-2015

जिला... का...
अपर... से...
... का...
... का...
... का...
... का...
... का...
... का...



06.2.15



--2--

॥2॥ लेख्यधारिणी:- श्रीमती तरसीला टोप्पो पति श्री रडमोन टेटे, जाति- खड़िया, पेशा- नौकरी, निवास ग्राम- कोबांग बिलहोरटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या:-

39 / 2015

॥3॥ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलानी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

॥4॥ मूल्य:- मोबलिंग तीन लाख दस हजार रुपये अके 3,10,000/- रुपये होता है ।

॥5॥ सम्मति:- सराजियात अन्दर मौजा- गोतरा छम्हनटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्रो ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के छाता नं0 192 एक सौ बानबे प्लॉट नं0 1671 सोलह सौ एकहत्तर रकबा 2.71 एकड़ में से 0.10 एकड़ दस दिसमिल शहरा क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वालो जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश,

दक्षिण:- विलियम बरला का टांड,

पूरब :- इसी प्लॉट में छोड़ा गया कच्चा रास्ता 10 फाट का,

पश्चिम:- इसा प्लॉट का अंश सेम संजय केरकेट्टा का हिस्सा ।

सहायकारी 5 पैसा शेष पैसा 8 अलावे सेस सलाना ।

श्रीमती तरसीला टोप्पो पति श्री रडमोन टेटे
 भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।
 विक्रय पत्र केवाला वैला कलानी पुत्र पुत्रादिक
 सदा सर्वदा के लिए होता है ।
 मोबलिंग तीन लाख दस हजार रुपये अके 3,10,000/-
 रुपये होता है ।
 सराजियात अन्दर मौजा- गोतरा छम्हनटोली,
 थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्रो ऑफिस वो
 जिला- सिमडेगा के छाता नं0 192 एक सौ बानबे प्लॉट नं0
 1671 सोलह सौ एकहत्तर रकबा 2.71 एकड़ में से 0.10 एकड़
 दस दिसमिल शहरा क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वालो
 जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान
 या निर्माण नहीं है ।
 जिसकी चौहद्दी:-
 उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश,
 दक्षिण:- विलियम बरला का टांड,
 पूरब :- इसी प्लॉट में छोड़ा गया कच्चा रास्ता 10 फाट का,
 पश्चिम:- इसा प्लॉट का अंश सेम संजय केरकेट्टा का हिस्सा ।
 सहायकारी 5 पैसा शेष पैसा 8 अलावे सेस सलाना ।



--3--

॥१॥ चूँकि मुझ लेख्यकारा को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

॥२॥ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

॥३॥ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ बेची जानेवाली जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे दादा लोया खड़िया के नाम से नाप दर्ज है । मेरे दादा एवं पिताजी को मृत्यु हो चुकी है । उनको मृत्यु के बाद जमीन का आपसी मौखिक भैयादी बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से को जमीन है जो उत्तराधिकार में मुझे प्राप्त हुआ है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

Mukul Kerketta

06.02.2015



--4--

॥4॥ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रोमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 633 आर 811/2013-14 है जिसको स्वीकृति दिनांक 30.9.014 को प्राप्त हुई जिसका ज्ञापांक 846११११ दिनांक 30.9.014 है ।

॥5॥ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारोख लेख्य से व अदाय भालगुजारी के रसीद छत्स नाम से हासिल किया करें ।

॥6॥ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लोज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरुआ के तहत नहीं है ।

Murel kenketta.

06-02-2015



--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है। *Munel kenketta*



06.02.2015

Munel kenketta

06.02.2015

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बांधे हुए बांध के पांचों अंगुलियों का दाय में समझ लिया गया है।

Jugal Kishore Ram Advocate


06.02.2015

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।



तरसिला टोप्पा
6.2.15

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बांधे हुए बांध के पांचों अंगुलियों का दाय में समझ लिया गया है।



Jugal Kishore Ram Advocate



--6--

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सहो/- Jugal Kishore Roon
Advocate
06.02.2015
प्रारूपकर्ता
तारीख:-

Murali Kumbhatla

5/07.20.15

100Rs.



--7--

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल सात पृष्ठों में कुल 652 शब्द टंकित हैं जो छण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मौ० गणकुंद
6-9-2015
मौ० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

Mural Kerketta

06.02.2015